महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0/प0नि0का0/एफ–3/2017/147-52

दिनांकः 23.09.2017

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महविद्यालय,
एम.जे.पी.रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय/महोदया,

गत वर्षो में देखा गया है कि महाविद्यालयों द्वारा ऐसे छात्र/छात्राओ को प्रवेश दे दिया गया, जो विश्वविद्यालय नियम/परिनियम एवं प्रवेश नियमावली में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते थें। कतिपय ऐसे छात्रों के परीक्षा फार्म अग्रसारित कर दिये गये, जो पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि को पार कर गये थे अथवा विश्वविद्यालय नियम/परिनियम के विपरीत थें। यद्यपि छात्र/छात्राओं को भी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश नियमावली का अध्ययन करने के उपरान्त ही आवेदन करना चाहिए था, साथ ही महाविद्यालयों के प्राचार्यो का भी यह दायित्व बनता है कि वह छात्र/छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परीक्षा फार्म के अग्रसारण से पूर्व उसका भलीभांति परीक्षण कर लें, मानक पूरा करने पर ही छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म अग्रसारित किया जाये। गत वर्षो मे निम्न प्रकार के मामले प्रकाश में आये–

1	**RD-Double Enrollemt**	ऐसे छात्र/छात्राये, जो एक महाविद्यालय में अनुत्तीर्ण होने के उपरान्त दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेकर परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो गये है ऐसे छात्र/छात्राओं के परीक्षाफल RD-Double Enrollemt के अन्तर्गत अघोषित है।
2	**RD- Centre Change**	ऐसे छात्र/छात्राये जो एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में बिना विश्वविद्यालय की पूर्व प्रदत्त अनुमति के परीक्षा में सम्मिलित हो गये है, के परीक्षाफल RD-Centre Change के अन्तर्गत अघोषित है।
3	**RD-Gap**	ऐसे छात्र/छात्राये जो स्नातक या परास्नातक पाठ्यक्रम में तीन वर्ष से अधिक अन्तराल होने पर भी प्रवेश उपरान्त परीक्षा में सम्मिलित हो गये है, के परीक्षाफल क्रमशः RD-Gap अन्तर्गत अघोषित है
4	**RD-Double Exam**	ऐसे छात्र/छात्राये जो एक ही वर्ष में दो परीक्षाओं के परीक्षाफार्म भर दिये है परन्तु एक परीक्षा में सम्मिलित होकर दूसरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए है, के परीक्षाफल RD-Double Exam अन्तर्गत अघोषित है।
5	**RD- BAIII M/s**	ऐसे छात्र/छात्राये जो स्नातक स्तर पर 45% अंक न होने के कारण स्नातकोत्तर प्रवेश उपरान्त महाविद्यालय की त्रुटि से परीक्षा में सम्मिलित हो गये है, के परीक्षाफल RD-BA III M/s के अर्न्तगत अघोषित है।
6	**RD- DURATION MORE THAN 4/6 YEAR**	विश्वविद्यालय प्रवेश नियमवली के अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की समय सीमा क्रमशः 06 व 04 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी महाविद्यालीय त्रुटि से छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो गये है, के परीक्षाफल RD-DURATION MORE THAN 4/6 YEAR के अन्तर्गत अघोषित है।

व्यापक छात्रहित में निर्देशानुसार अनुरोध है कि ऐसे किसी छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म अग्रसारित न किया जाय, जो उपरोक्त श्रेणी का हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक पूरे न करता हो। विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर सभी नियम/परिनियम/अध्यादेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिससे अध्यावधिक रहने की आवश्यकता है। यदि निर्धारित मानक पूरा न करने पर किसी छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म अग्रसारित किया जाता है तथा वह परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है, उसके उपरान्त भी उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकती है ऐसी स्थिति में संबंधित छात्र एवं संबंधित महाविद्यालय ही उत्तरदायी है। पुनः अनुरोध है कि नियम/परिनियम/प्रवेश नियमावली का भलीभॉति परीक्षण करने के उपरान्त ही परीक्षा फार्म अग्रसारित करें।

इस सहयोग की अपेक्षा के साथ,

भवदीय

(महेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
4. प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा/गोपनीय)
5. प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना महाविद्यालयों के ई–मेल पर प्रेषित करें एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

परीक्षा नियंत्रक